(वाद संख्या–1001–4–23/2019)

26.02.2021

प्रसंगाधीन परिवादी, मंजू देवी, पत्नी राणा चन्देश प्रसाद, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा को माह माह जुलाइ, 2018 से जुलाई, 2019 तक के वेतन का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में लघु जल संसाधन विभाग के अवर सचिव, संतोष कुमार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के पति का प्रशासनिक दृष्टिकोण से लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर से लघु सिंचाई प्रमंडल, नवादा स्थानान्तरण किया गया था। स्थानान्तरण आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि माह जुलाई, 2018 का वेतन उन्हें नये पदस्थापन स्थान पर देय होगा। परिवादी के पति द्वारा स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न कर स्थानान्तरण स्थगित कराने का प्रयास किया जाता रहा। स्थानान्तरण आदेश को स्थगित कराने में असफल होने के बाद काफी लम्बी अवधि के बाद उन्होंने दिनांक–31.05.2019 को लघु सिंचाई प्रमण्डल, नवादा में योगदान दिया साथ ही साथ उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी आवेदन भी समर्पित कर दिया। बाद में श्री प्रसाद को उपरोक्त बकाया अवधि के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। प्रतिवेदनानुसार कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नवादा द्वारा परिवादी के पति को लघु सिंचाई अंचल, हिसुआ में पदस्थापित किया गया है किन्तु उन्होंने अपने नव पदस्थापन स्थान पर योगदान न देकर दिनांक–17.10.2019 से उपार्जित अवकाश में प्रस्थान करने से संबंधित आवेदन, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नवादा को भेज दिया।

परिवादी की ओर से लघु जल संसाधन विभाग के प्रतिवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि परिवाद–पत्र में उल्लिखित लंबित अवधि के वेतन का भुगतान उसके पति को हो चुका है, लेकिन उन्होंने श्री संतोष कुमार, अवर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना (प्रतिवेदन समर्पित करने वाले पदाधिकारी) पर व्यक्तिगत आरोप लगायी है जिस पर राज्य आयोग वर्त्तमान प्रक्रम में विचार

करना उचित नहीं समझता है। राज्य आयोग द्वारा परिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु दो बार नोटिस निर्गत किया गया। परन्तु वह अनुपस्थित रहीं।

अब, जबकि परिवाद–पत्र में उल्लिखित बकाया अवधि के वेतन का भुगतान परिवादी के पति को हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले के संबंध में अब कोई कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होती है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक